भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1942

(जिसका उत्तर सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट इकाइयों का सुदृढ़ीकरण

1942. श्री मलूक नागर:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोरोना महामारी के बाद घाटे में चल रही और लाभ कमाने वाली कारपोरेट इकाइयों की संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रतिस्पर्धा के इस युग में कारपोरेट इकाइयों (उद्योगों) को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) घाटे में चल रही इकाइयों को लाभप्रद इकाइयों में बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को शासित करती है। इस अधिनियम में पद 'कारपोरेट यूनिट' परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, एमसीए पोर्टल में अनुरक्षित रिकार्ड के अनुसार, भारत में वित्त वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान लाभ कमाने वाली कंपनियों तथा घाटे में चल रही कंपनियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	2019-20	2020-21
लाभ कमाने वाली कंपनियों की संख्या	4,00,375	333,887
घाटे में चल रही कंपनियों की संख्या	4,02,431	350,451

तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कानून का पालन करने वाले कारपोरेट घरानों के लिए व्यवसाय प्रारंभ करने की प्रक्रियाओं को सरल करते हुए तथा विभिन्न अनुपालन बोझ को कम करते हुए व्यवसाय का संचालन सुगम बनाने तथा जीवनशैली सहज बनाने के लिए कदम उठाए हैं, जो निम्नवत हैं:-

(1) कंपनी अधिनियम के तहत धाराओं को अपराधों की श्रेणी से अलग करना: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 46 दंड उपबंधों को कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से अपराधों की श्रेणी से अलग कर दिया गया जिसके माध्यम से अपराधों की सूची से अलग किए गए उपबंधों की कुल संख्या 62 (वर्ष 2018 में अपराधों की सूची से अलग किए गए 16 सहित) हो गई है।

इसके अलावा, लघु प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी चूकों, जिनमें कपट, धोखा अथवा सार्वजनिक हित को क्षति पहुंचाने वाला कोई घटक शामिल नहीं है, के लिए दंड उपबंधों को अपराधों की सूची से अलग करने के अलावा, शास्तियों की राशि की प्रमात्रा को युक्तियुक्त बनाने की प्रक्रिया भी शामिल है तथा ऐसी प्रत्याशा है कि देश में सुगमतापूर्वक व्यवसाय करने का माहौल और व्यापक होगा तथा इससे नेमी स्वरूप के मामलों के बोझ से आपराधिक न्यायालयों तथा एनसीएलटी को राहत मिलेगी।

इस तरह, उन्हें अपराधों की सूची से अलग करने से व्यवसाय के सामान्य संचालन में गैर-मूलभूत लघु तथा प्रक्रियात्मक भूलचूक के लिए दांडिक अभियोजनों का भय दूर होगा तथा सूक्ष्म तथा लघु, मध्यम व्यवसाय उद्यमों को कंपनियों के रूप में निकाय कारपोरेटों में परिवर्तित होने में प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा देश में ईमानदार धन सृजकों को व्यापक सुगमता प्रदान करने तथा उन्हें अधिकतम सम्मान प्रदान करने और न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने हेतु सरकार के रुख पर भारतीय कारपोरेटों का विश्वास बहुत अधिक बढ़ जाएगा।

(2) लघु कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) स्टार्ट-अप्स, उत्पादक कंपनियां इत्यादि के लिए अपेक्षाकृत कम शास्ति:- कंपनी अधिनियम, 2013 के किन्हीं उपबंधों के गैर-अनुपालन के लिए कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से लघु कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) स्टार्ट-अप्स, उत्पादक कंपनियों अथवा इसके किसी चूककर्ता अधिकारी, अथवा ऐसी कंपनी के संदर्भ में कोई अन्य व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत कम शास्ति का प्रावधान किया गया है जिन पर इन-हाउस-एडज्यूडिकेशन मेकानिज्म (आईएएम) के अंतर्गत विचार किया जाना है। इससे व्यवसायों के संचालन की लागत में कमी आएगी।

(3) नई कंपनियों के निगमन के लिए आसान प्रक्रिया : कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्पाइस+ तथा एजाइल प्रो-एस नामक एक नया वेब प्ररूप लागू किया है जिसके अंतर्गत तीन केंद्रीय मंत्रालयों अर्थात कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय तथा राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय में), तीन राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं विभिन्न बैंकों के द्वारा ग्यारह सेवाओं नामतः, (i) नाम आरक्षण, (ii) निगमन, (ii) पैन, (iv) टैन, (v) डिन, (vi) ईपीएफओ पंजीकरण, (vii) ईएसआईसी पंजीकरण, (viii) जीएसटी नंबर, (ix) बैंक खाता, (x) पेशेवर कर पंजीकरण (महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल), (xi) दिल्ली दुकान तथा स्थापना पंजीकरण, का प्रावधान किया गया है। इस नए वेब प्ररूप में नई कंपनियों के निर्बाध निगमन हेतु ऑन स्क्रीन फाइलिंग तथा रीयल टाइम डाटा को सुगम बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, प्रक्रियाओं की संख्याओं तथा देश में व्यवसाय को आरंभ करने में लगने वाली समयावधि कम हुई है।

(4) आरक्षित नामों के नवीकरण हेतु आसान प्रक्रिया : इस मंत्रालय ने कंपनी (निगमन) तृतीय संशोधन नियम, 2020 के माध्यम से दिनांक 24.12.2020 की अपनी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.(अ)765 के तहत कतिपय मामलों में www.mca.gov.in पर उपलब्ध एक सरल वेब सेवा के जरिए नाम के आरक्षण की समयावधि में विस्तार का प्रावधान किया है। 20 दिनों से अधिक की अवधि तक कंपनी नामों के नवीकरण हेतु एक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु नियम संशोधित किए गए।

(5) केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी): नाम आरक्षण तथा कंपनियों के निगमन एवं सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) के लिए केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना करना।

(6) 15 लाख रुपये तक की प्राधिकृत पूंजी अथवा 20 सदस्यों तक वाली सभी कंपनियों के लिए निगमन हेतु शून्य शुल्क, जहां कोई शेयर पूंजी प्रयोज्य नहीं हो।

(7) एकल व्यक्ति कंपनियां: एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) के निगमन तथा कार्यकलाप से संबंधित उपबंधों में महत्वपूर्ण रूप से संशोधन किया गया है ताकि अपेक्षाकृत अधिक एकल व्यक्ति कंपनियों के निगमन को प्रोत्साहित किया जा सके। अब गैर-निवासी भारतीयों को भी एकल व्यक्ति कंपनियों को निगमित करने की अनुमति है। पूर्व में सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिकों को ही अनुमति थी। ऐसी कंपनियों को अब किसी भी समय निजी या सार्वजनिक कंपनियों में परिवर्तित होने की अनुमति है। एकल व्यक्ति कंपनियों के लिए प्रदत्त पूंजी तथा टर्नऑवर की अधिकतम राशि के संबंध में प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं ताकि एकल व्यक्ति कंपनियों के विकास पर कोई अनुचित प्रतिबंध न रहे।

(8) लघु कंपनियां : "लघु कंपनियां" के संदर्भ में अधिकतम सीमा में संशोधन किया गया है ताकि अपेक्षाकृत अधिक कंपनियां "लघु कंपनियों" के रूप में वर्गीकृत हो सकें और कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के तहत उपबंधित हल्के अनुपालन ढांचा का लाभ उठा सके। (प्रदत्त शेयरपूंजी के संदर्भ में सीमा पचास लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये और टर्नऑवर के संदर्भ में सीमा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर बीस करोड़ रुपये कर दी गई है)।

(9) सूचीबद्ध कंपनियों की परिभाषा में संशोधन : दिनांक 19.02.2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ) 123 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के जरिए सूचीबद्ध कंपनियों की परिभाषा से कंपनियों के कतिपय वर्ग को निकाल दिया गया है। इसके पश्चात, प्राइवेट कंपनियां जो स्टाक एक्सचेंजों पर ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का विकल्प चयन करती हैं, से यह अपेक्षित नहीं है कि वे उन अनुपालनों को पूरा करें जो सूचीबद्ध कंपनियों से अपेक्षित हो तथा तदनुसार, ऐसी कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ कम हो गया है।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विलयनों के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की गई है ताकि, अन्य स्टार्ट-अप्स एवं लघु कंपनियों सहित स्टार्ट-अप कंपनियों के विलयनों को भी शामिल किया जा सके जिससे कि ऐसी कंपनियों के लिए विलयनों एवं समामेलनों की प्रक्रिया तीव्र गति से पूरी हो जाए।

(11) स्वतंत्र निदेशकों पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए नियम संशोधित किए गए।

(12) कंपनियों द्वारा एक पूर्ववर्ती विशेष समाधान पारित करने के लिए इसे पर्याप्त बनाने हेतु संशोधन में सुधार किए गए ताकि वर्ष के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को किन्हीं प्रतिभूतियों का ऑफर या आमंत्रण दिया जा सके जिससे कि इसे पूंजी की उगाही के लिए कंपनियों हेतु आसान बनाया जा सके।

(13) डी-मैट फॉर्म में धारित अल्पसंख्यक शेयरधारिता की खरीदारी करने में समर्थ बनाने हेतु नियमों में संशोधन किया गया।

(14) लघु कंपनियों तथा अन्य स्टार्ट-अप सहित स्टार्ट-अप कंपनियों के विलयनों एवं समामेलनों हेतु फास्ट ट्रैक की प्रक्रिया की शुरूआत करना।

(15) समय-सीमा उस अवधि तक कम करना जहां तक राइट्स इश्यूज़ खुला रखा जाना अपेक्षित हो।

(16) लघु कंपनियों तथा एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) के लिए वार्षिक रिटर्न का नया संक्षिप्त एवं लघु स्वरूप लागू किया गया है।

(17) किसी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी के रूप में संपरिवर्तित करने की आसान प्रक्रिया।

(18) कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत एसएमसी की परिभाषा में संशोधन : कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 को दिनांक 23.06.2021 को अधिसूचित किया गया ताकि कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित) को परिलक्षित किया जा सके और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लाया जा सके। उक्त नियम में लेखा मानकों की प्रयोज्यता हेतु लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियों की परिभाषा में भी संशोधन किया गया जिसके तहत टर्नऑवर सीमा पचास करोड़ रुपये से अधिकतम दो सौ पचास करोड़ रुपये तक तथा उधार सीमा दस करोड़ रुपये से बढ़ाकर पचास करोड़ रुपये कर दी गई है। इस संशोधन का उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लगने वाले अपेक्षित समय को कम करना है। परिणामतः बहुत अधिक संख्या में कंपनियां एसएमसी कंपनियों की परिभाषा में कवर होंगी तथा उन्हें विभिन्न लेखा मानकों जैसे एएस-3 नकद प्रवाह विवरण, एएस-17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, एएस-15 कर्मचारी हितलाभ इत्यादि के अंतर्गत अपेक्षित विस्तृत प्रकटनों के अनुपालन से छूट और रियायतें प्राप्त होंगी।

*****